(53)

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास विभाग
संख्याः 1132 /IV(2)–श0वि0–11–246(सा0)/04–टी.सी.
देहरादून : दिनांकः 5 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 114 के खण्ड (21) और धारा 451 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 453 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते है, उसका निम्नलिखित प्रारूप समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से उक्त नियमावली की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2– प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाना चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर व्यवसाय (विनियमन एवं प्रबंधन) नियमावली 2011

संक्षिप्त नाम, लागू किया जाना और प्रारंभ

1– (1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड नगरीय फेरी तथा सड़क पटरी पर व्यवसाय (विनियमन एंव प्रबंधन) नियमावली 2011" कही जायेगी।
(2) यह उत्तराखण्ड में सभी नगर निगमों पर लागू होगी।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य में प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 से है।

(ख) 'अनुज्ञप्ति' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन जारी अनुज्ञा–पत्र से है।

(ग) 'अनुज्ञापन अधिकारी' का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के अधीन पंजीकृत फेरीकर्ताओं की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी से है।

(घ) नगर निकाय का तात्पर्य उत्तराखण्ड में स्थित सभी नगर निगमों से है।

(ड.) 'नियामक अधिकारी' का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के अधीन फेरीकर्ताओं को पंजीकृत करने

(2) 'नो वैन्डिंग जोन' में व्यवसाय करने वाले फेरी व्यवसायियों को नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अतिक्रमण मानकर निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नियामक अधिकारी सक्षम होगा।

पंजीकरण एवं अनुज्ञा

1– (1) फेरीवालों को पंजीकृत करने की शक्ति नियामक अधिकारी में निहित होगी।

(2) पहचान के प्रमाणिक अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक नगर के समस्त फेरीवालों को एक साधारण शुल्क पर पंजीकृत किया जायेगा।

(3) प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पंजीकरण को नवीनीकृत किया जायेगा।

(4) पंजीकरण, प्रपत्र "क" के अनुसार प्रार्थना पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(5) प्रत्येक फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता आकलित की जायेगी।

(6) फेरी की अनुज्ञा क्षेत्र आधारित जारी की जायेगी।

(7) फेरी अनुज्ञा हेतु आवेदन सभी पंजीकृत फेरीवाले दे सकते हैं तथा यह आवेदन कई फेरी क्षेत्रों हेतु भी दिया जा सकता है।

(8) प्राप्त आवेदनों पर फेरी अनुज्ञा हेतु फेरी व्यवसायियों का चयन फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता के आधार पर एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रकिया के अधीन किया जायेगा।

(9) चयनित आवेदकों से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उन्हें अनुज्ञप्ति पत्र नियामक अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(10) विशेष परिस्थितियों में मेलों, मौसमी कार्यक्रमों, त्यौहारों और उत्सवों के लिए अंशकालिक अनुज्ञप्ति आनुपातिक शुल्क जमा कराकर जारी की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पूर्व में अनुज्ञा प्राप्त फेरी व्यवसायियों से काई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(11) अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक फेरी व्यवसायी के पहचान–पत्र में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होगा–

(एक) फेरीवाले का नाम, पता तथा फोटो।

(दो) परिवार के किसी भी नामनिर्देशिती का नाम।

(तीन) श्रेणी (स्थिर या चल)।

(चार) फेरी क्षेत्र जहां परिचय–पत्र स्वामी को स्थिर या चल फेरी करने की अनुज्ञा दी गई हो।

(पांच) अनुज्ञति की विधिमान्यता प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

(12) पहचान–पत्र नियामक अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवसाय के संचालन के लिये पहचान–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति शुल्क

6– पंजीकृत फेरीकर्ताओं/फेरीवालों को विहित शुल्क के भुगतान के पश्चात् वार्षिक आधार पर अनुज्ञा–पत्र नियामक अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। फेरीकर्ताओं/फेरीवालों को अनुज्ञप्तियों के

रद्दकरण

की सम्यक् नोटिस के बाद अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

(3) यदि जहां फेरी, गैर फेरी क्षेत्र में की जाये तो स्थान को खाली करने के लिये कम से कम कुछ घंटों की नोटिस दी जानी चाहिए और यदि स्थान अधिसूचित समय में खाली नहीं किया गया तो अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। यदि नोटिस देने और अर्थ दण्ड के अधिरोपित करने के बाद भी स्थान खाली नहीं किया जाता है, केवल तभी बेदखली का आश्रय लिया जायेगा।

(4) अधिहरित सामानों के सम्बन्ध में मार्ग फेरीवाले युक्तियुक्त समय के भीतर नियामक अधिकारी द्वारा अवधारित किये गये विहित शुल्क के भुगतान पर अपना सामान वापस पाने के हकदार होंगे।

निर्बन्धन एवं शर्ते

11– फेरीकर्ता निम्न वर्णित निर्बन्धनो तथा शर्तो के आधार पर व्यवसाय करेंगे–

(1) फेरीकर्ताओं द्वारा व्यवसाय के प्रयोजनार्थ जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर शोर नहीं किया जायेगा।

(2) फेरीकर्ता मार्गो तथा पटरियों की सफाई के लिए और किसी नगर निकाय कार्य को करने के लिये नगर सफाई कर्मचारी वर्ग को पूर्ण सहयोग देंगे।

(3) जनहित में किसी भी समय विधिवत् नोटिस निर्गत कर सुनवाई करने के उपरान्त फेरी अनुज्ञप्ति को नियामक अधिकारी द्वारा निरस्त एवं फेरीकर्ता को फेरी या बिक्री करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(4) फेरीकर्ता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा, किसी प्रकार की गन्दगी, प्रदूषण और दुर्गन्ध नहीं सृजित की जायेगी और पर्यावरण को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

(5) यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी। जन सामान्य के आवागमन और वाहनों के संचालन में अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

(6) फेरी व्यवसायी द्वारा मादक पदार्थों तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का व्यवसाय नहीं किया जायेगा।

(7) फेरी की विहित अवधि में अनुज्ञप्ति मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(8) यदि किसी फेरीकर्ता द्वारा किसी भी समय विहित शर्तो का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके व्यवसाय से यातायात में अवरोध या पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया जाना सत्यापित हो जाता है तो नियामक अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

शास्ति एवं अपराधों का शमन

12– (1) जो कोई इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

संलग्नक–1

प्रपत्र–क
मार्ग फेरीवालों के लिये प्रार्थना पत्र

क्रमांक–

नगर निकाय का नाम– .....

जिला का नाम– .....

1– नाम – .....

2– पिता का नाम– .....

3– पता– .....

(क) स्थानीय पता – .....

(ख) स्थायी पता– .....

4– आयु .....

5– शैक्षिक अर्हता – .....

6– व्यवसाय का विवरण, जिसे प्रारम्भ करना चाहते? .....

7– प्रमाणिक पहचान पत्र का विवरण .....

8– क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलाग आरक्षण कोटे से संबधित है? .....

9– अन्य विवरण– .....